उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण अनुभाग-1
संख्या-43/2024/832131/60-1099/381/2023
लखनऊः दिनांक: 24 दिसम्बर, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चोंसे सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर गठित किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के नवीन अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु उ0प्र0 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम-2019 के नियम-87 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन 03 वर्ष की अवधि के लिए शासन की अधिसूचना संख्या-31/2024/1202/60-1099/381/2023, दिनांक 19.09.2024 द्वारा एक राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया है।

2- सम्यक विचारोपरान्त अधिसूचना संख्या-31/2024/1202/60-1099/381/2023, दिनांक 19.09.2024 द्वारा उक्त गठित राज्य स्तरीय चयन समिति एतद्द्वारा भंग की जाती है।

आज्ञा से,

(सुधा वर्मा)
विशेष सचिव

संख्या-43/2024/832131(1)/60-1099/381/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. श्री सुनीत कुमार, मा0 अध्यक्ष, चयन समिति।
4. चयन समिति के मा0 सदस्यगण।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।